उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या – ....05..../2018

पंजाब एंड सिंघ बैंक बनाम् जय कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
23 – 03 – 2018	अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में पंजाब एंड सिंघ बैंक के कर्मचारी के द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् अनुमति के निमित वाद दायर करने हेतु एग्रीमेन्ट/ई0टी0सी0 शपथ–पत्र समर्पित किया गया। पंजाब एंड सिंघ बैंक के कर्मचारी के द्वारा समर्पित एग्रीमेन्ट/ई0टी0सी0 शपथ–पत्र एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सुसंगत धारा अन्तर्गत खाता, उधारकर्त्ता एवं जमानतदार के नाम से अनुमति हेतु वाद दायर करने के निमित आवेदन संलग्न नहीं है। एंग्रीमेन्ट शपथ–पत्र कागजात के आधार पर अनुमति के निमित वाद दायर करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसमे प्राधिकृत पदाधिकारी पंजाब एंड सिंघ बैंक, राँची द्वारा हस्ताक्षरित है और अपीलार्थी में पंजाब एंड सिंघ बैंक, पंचवटी प्लाजा, रामगढ़ अंकित है, जो आपस में एक–दूसरे का विरोधाभाष है। साथ ही प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति सत्यापित नही है और न ही संबंधित बैंक द्वारा किसी पदाधिकारी/कर्मी के नाम से वाद दायर करने हेतु प्राधिकृत के संबंध में पत्र न्यायालय के समक्ष संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी के द्वारा उपस्थापित किया गया है, जो नियमानुसार पोषनीय नही है। अतः पंजाब एंड सिंघ बैंक के कर्मचारी के द्वारा एग्रीमेन्ट/ई0टी0सी0 शपथ–पत्र के माध्यम से सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् दायर शपथ–पत्र/आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित्र एवं संशोधित 23/3/18 उपायुक्त, रामगढ़। 23/3/18 उपायुक्त, रामगढ़।	